VI विनियमन, पर्यवेक्षण और वित्तीय स्थिरता

आर्थिक मंदी के बाद और क्षेत्र-विशेष से जुड़े कारकों की वजह से, बैंकिंग क्षेत्र आस्ति गुणवत्ता में गिरावट की समस्या से घिर गया है। प्रतिक्रियास्वरूप रिज़र्व बैंक ने प्रारंभिक स्तर पर ही दबाव की पहचान करने और त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए विनियामक और पर्यवेक्षी व्यवस्था को मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। इसके साथ, रिज़र्व बैंक ने निजी क्षेत्र के नए बैंकों और विशिष्ट श्रेणी के बैंकों को अनुमति देते हुए बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा लाने का कार्य किया। आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों को वसूली प्रबंधन के लिए भी प्रोत्साहित किया गया। साथ ही साथ, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों और शहरी सहकारी बैंकों के लिए विनियामक व्यवस्था को शेष बैंकिंग क्षेत्र के समरूप बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। ग्राहक संरक्षण पर ध्यान देते हुए रिज़र्व बैंक ने ग्राहक अधिकारों का चार्टर जारी किया, जिसमें बैंक ग्राहकों के पांच मूलभूत अधिकारों का प्रतिपादन किया गया है।

VI.1 समीक्षाधीन वर्ष में वित्तीय स्थिरता के लिए वैश्विक स्तर पर जोखिम बढ़ा है - अमरीका की मौद्रिक नीति को सामान्य स्थिति में लाने का कार्य अनिश्चतता से घिरा था, और इसी दौरान वहां से आने वाले तथ्यों पर बाजार में होने वाली प्रतिक्रियाओं ने सेन्टीमेन्ट, आस्ति कीमतों और पूंजी प्रवाह के लिए रिस्क ऑन रिस्क ऑफ स्विच का काम किया; यूरो क्षेत्र और जापान में वित्तीय आस्ति मूल्यों में बड़े उतार-चढ़ाव के साथ अत्यधिक समायोजनशील मौद्रिक नीतियों; और उदीयमान बाजारों वाली अर्थव्यवस्था में वित्तीय संतुलन को फिर से लाने और घरेलू अतिसंवेदनशीलता के प्रबन्धन, अधिकाधिक कॉरपोरेट ऋण-ग्रस्तता और बाजार तथा चलनिधि जोखिमों के बढ़ते एक्सपोजर मौजूद थे। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए वित्तीय प्रणाली के बैंकिंग और गैर-बैंकिंग दोनों घटकों पर ध्यान देने के लिए अच्छी तरह से डिजाइन किए गए समष्टिगत विवेकपूर्ण उपाय बहुत महत्वपूर्ण हो गए।

VI.2 वैश्विक और घरेलू गतिविधियों के संयोग से बैंकों की आस्ति गुणवत्ता और लाभप्रदता पर दबाव को देखते हुए वर्ष 2014-15 के दौरान रिज़र्व बैंक का फोकस विनियामक और पर्यवेक्षी व्यवस्था को मजबूत करने पर था, जिसके लिए इन्हें बासेल-III मानदंडों और अन्य अन्तरराष्ट्रीय मानक निर्धारक निकायों द्वारा स्थापित मानदंडों के साथ समरूप किया गया।

VI.3 प्रौद्योगिकीय समुन्नयन और उधारकर्ताओं के क्रेडिट इतिहास को शेयर करने को बढ़ावा देते हुए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और शहरी सहकारी बैंकों की विनियामक और पर्यवेक्षी व्यवस्था को बैंकिंग प्रणाली के साथ संयोजित करके मजबूत बनाया गया। बैंकिंग संरचना, इसके विशिष्ट डोमेन सहित, में नए प्रतियोगियों यथा लघु वित्त और भुगतान बैंकों को प्रविष्ट करते हुए, और गैर-बैंक प्राधिकृत संस्थानों को अपने दायरे में लाकर भुगतान प्रणाली संरचना की पहुंच का विस्तार करते हुए बैंकिंग संरचना को मजबूत बनाने की कोशिश की गई। रिज़र्व बैंक ने विदेशों में परिचालन कर रहे भारतीय बैंकों और भारत में परिचालन कर रहे विदेशी बैंकों के बीच अधिकाधिक सहयोग को बढ़ाने और पर्यवेक्षी जानकारी को साझा करने के लिए अन्य देशों के पर्यवेक्षी समुदायों के साथ समझौता ज्ञापन/पत्रों के आदान-प्रदान/ सहयोग प्रतिज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

VI.4 बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ती हुई दबावग्रस्त आस्तियों पर प्राथमिकता के स्तर पर ध्यान देना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। शुरुआती सुधारात्मक कार्रवाई के लिए मैकेनिज्म के अलावा, बहु-आयामी रणनीति अपनाई गई, जिसमें पुनर्रचित आस्तियों के लिए उच्चतर प्रावधान, आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों और देनदारी की अपेक्षित पुनर्संरचना करके वसूली प्रबंधन शामिल थे।

VI.5 इस दिशा में वित्तीय मध्यस्थों का विनियमन और पर्यवेक्षण और साथ ही ग्राहकों के हितों का ध्यान रखने वाले रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों ने वर्ष 2014-15 में अपने लिए कार्य योजना

का कार्यक्रम बनाया। आगामी पैराग्राफों में उनके द्वारा किए गए क्रियाकलापों, निहित चुनौतियों और 2015-16 के आगे की योजना को दर्शाया गया है।

वित्तीय स्थिरता इकाई (एफएसयू)

VI.6 विश्वयापी वित्तीय संकट के बाद वित्तीय स्थिरता को बरकरार रखना केन्द्रीय बैंकों का प्रमुख दायित्व हो गया है। जुलाई 2009 में रिज़र्व बैंक की वित्तीय स्थिरता इकाई की स्थापना भारत में वित्तीय विन्यास को मजबूत बनाने, और साथ ही वित्तीय प्रणाली की प्रभावी समष्टि-विवेकपूर्ण निगरानी सुनिश्चित करने के प्रयोजन से की गई। सतत आधार पर समष्टि-विवेकपूर्ण निगरानी, प्रणालीगत दबाव परीक्षण करके और देश में वित्तीय स्थिरता हेतु वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) नामक संस्थागत व्यवस्था को सहायता देने के अलावा वित्तीय स्थिरता की स्थिति के बारे में प्रचार के माध्यम से इस कार्य को पूरा करना परिकल्पित है।

2014-15 की कार्यसूची - कार्यान्वयन की स्थिति

VI.7 2014-15 की योजना के अनुसार - वित्तीय स्थिरता संबंधी दो रिपोर्टों का प्रकाशन हुआ - एक दिसम्बर 2014 में और दूसरी जून 2015 में। यह रिज़र्व बैंक का सतत प्रयास है कि दबाव परीक्षण व्यवस्था में सुधार लाया जाए। तदनुसार समष्टि दबाव परीक्षण पद्धति में प्रयुक्त चरांकों (उदाहरण के लिए थोक मूल्य सूचकांक के स्थान पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का प्रयोग, और मांग दर के स्थान पर भारित औसत लेन्डिंग दर) को परिष्कृत किया गया। इसके अलावा, वित्तीय स्थिरता यूनिट को अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष के साथ - जोखिम भारित आस्तियों के डायनामिक की मॉडलिंग, और कॉरपोरेट क्षेत्र का संकट और बैंकिंग क्षेत्र पर इसके प्रभाव की मॉडलिंग के क्षेत्रों में संयोजित किया गया ताकि दबाव परीक्षण व्यवस्था में और भी परिष्कार तथा नए प्रागाक्ति मॉडलों का विकास किया जा सके। दबाव ग्रस्त आस्तियों पर जोर देते हुए विद्युत, तथा इस्पात और स्टील उद्योग का विश्लेषण किया गया। इसके अलावा, बैंकिंग प्रणाली की सहनशक्ति का अनुमान लगाने के लिए बैंकिंग क्षेत्र पर इनके प्रभाव का आकलन किया गया।

VI.8 वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की उपसमिति के सचिवालय के रूप में वित्तीय स्थिरता इकाई ने 2014-15 के दौरान उप-समिति की तीन बैठकों का आयोजन किया। उप-समिति की इस सिफारिश पर विचार किया जा रहा है कि ग्राहकों की सभी वित्तीय आस्तियों को सिंगल विन्डो के माध्यम से देखने के लिए 'एकाउन्ट एग्रीगेशन' सुविधा का सृजन करने हेतु व्यवस्था की जाए। उप-समिति में विचार-विमर्श के आधार पर केन्द्रीय प्रतिभूतिकरण रजिस्ट्री, एसेट रीकन्स्ट्रक्शन एन्ड सेक्यूरिटी इन्टरेस्ट ऑफ इंडिया को अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) की केन्द्रीय रजिस्टरी का कार्य सौंपा गया ताकि केवाईसी के लिए दृष्टिकोण और साथ ही पूरे वित्तीय क्षेत्र में इसका अंतर-प्रयोग सुनिश्चित हो सके।

VI.9 राज्य स्तरीय समन्वयन समितियों को मज़बूत बनाने के लिए उप-समिति की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न कदम उठाए गए ताकि जमाराशि स्वीकार करने वाली अप्राधिकृत स्कीमों के बारे में बाज़ार आसूचना का प्रभावी प्रचार-प्रसार किया जा सके। बहुत से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम तैयार किया गया।

VI.10 कॉरपोरेटों को बीमा कम्पनियों द्वारा उधार दिए जाने के बारे में सूचना हासिल करने के संबंध में उप-समिति के निर्देशों के आधार पर बीमा कम्पनियों को सूचित किया गया कि वे सेन्ट्रल रिपॉजिटरी ऑफ इन्फार्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट में अभिदाता बनें, जो कि रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित बड़े ऋण से संबंधित सूचना की एक रिपॉजिटरी है।

VI.11 इसके अलावा, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के एक उप-समूह के रूप में कार्य करने वाली वित्तीय स्थिरता इकाई द्वारा अंतर-विनियामक तकनीकी समूह (आईआरटीजी) के लिए सचिवालय का भी कार्य किया जाता है और 2014-15 के दौरान इसने चार बैठकों का आयोजन किया, जिसमें अन्य विषयों के अलावा, एलईआई, गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों का पूंजी बाजार में एक्सपोजर संबंधी रिपोर्टिंग, एकाउन्ट एग्रीगेशन और कॉमन

केवाईसी पर विचार किया गया। आईआरटीजी ने सभी विनियामकों को सूचित किया कि वे अपने क्षेत्राधिकार में चिन्हित संस्था द्वारा एलईआई का प्रयोग अनिवार्य करने पर रोड मैप तैयार करें।

2015-16 की कार्यसूची

VI.12 इसके बाद दिसम्बर 2015 और जून 2016 में एफएसआर के प्रकाशन और समष्टि-विवेकपूर्ण निगरानी करना परिकल्पित है, साथ ही एफएसडीसी की उप-समिति की बैठकों का आयोजन भी किया जाएगा। वित्तीय स्थिरता इकाई द्वारा महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों का विश्लेषण जारी रहेगा। इसके अलावा, यह भी प्रस्तावित है कि दबाव-परीक्षण करने के लिए प्रयुक्त उपायों और तकनीकों की समीक्षा के लिए अन्तरराष्ट्रीय एजेन्सियों / अन्य केन्द्रीय बैंकों के साथ सहकार्य किया जाए।

वित्तीय मध्यस्थों का विनियमन

वाणिज्यिक बैंक : बैंकिंग विनियमन विभाग (डीबीआर)

VI.13 बैंकिंग विनियमन के क्षेत्र में रिज़र्व बैंक का अथक प्रयास है कि प्रबल और सहनशील बैंकिंग प्रणाली सुनिश्चित की जाए जो कि सर्वोत्तम अन्तरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप हो और समाज के सभी वर्गों की वित्तीय और सहसम्बद्ध जरूरतों को दक्षता और प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम हो। तदनुसार, इस विभाग ने बैंकिंग संरचना को मजबूत बनाने के लिए 2014-15 में कई उपाय आरंभ किए।

2014-15 की कार्यसूची - कार्यान्वयन की स्थिति

बासेल ।।।- चलनिधि मानक

VI.14 2014-15 के दौरान बासेल ।।। के चलनिधि संबंधी दो अनुपातों को लागू करने में विशेष प्रगति हुई, यथा - चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) जिसे बैंकों के अल्पावधि चलनिधि जोखिम प्रोफाइल में सहनशीलता लाने हेतु निर्धारित किया गया है, और निवल स्थायी वित्तपोषण अनुपात (एनएसएफआर) जिसमें अल्पावधि होलसेल फंडिंग पर अतिनिर्भरता को सीमित करना अपेक्षित है। यद्यपि भारतीय बैंकों के लिए चलनिधि कवरेज अनुपात 1जनवरी 2015 से न्यूनतम 60 प्रतिशत की अपेक्षा के साथ लागू होना है, जबकि 1जनवरी 2018 से न्यूनतम 100 प्रतिशत अपेक्षा के साथ एनएसएफआर को लागू करना निर्धारित है।

बासेल ।।। लीवरेज अनुपात (एलआर)

VI.15 बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) के अनुसार ही रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2015 में जोखिम आधरित पूंजी अपेक्षाओं के विश्वसनीय प्रतिपूरक के रूप में लीवरेज अनुपात की संशोधित रूपरेखा जारी की। यद्यपि भारतीय बैंकों के लिए अंतिम न्यूनतम लीवरेज अनुपात उन्हीं फाइनल नियमों के अनुरूप रखा जाएगा, जो बीसीबीएस द्वारा 2017 के अंत में निर्धारित किए जाएंगे, तब तक रिज़र्व बैंक समानांतर परिचालन के तौर पर 4.5 प्रतिशत के सांकेतिक लीवरेज अनुपात के अनुसार और बैंकों द्वारा टीयर1 लीवरेज अनुपात के सार्वजनिक प्रकटीकरण के प्रयोजन से अलग-अलग बैंकों की निगरानी करेगा।

प्रतिचक्रीय पूंजी बफर (सीसीसीबी) व्यवस्था

VI.16 भारत में प्रतिचक्रीय पूंजी बफर के कार्यान्वयन से सम्बंधित दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं, जिनमें सीसीसीबी के घटकों, सीसीसीबी को क्रियाशील बनाने के निर्णयों के लिए मुख्य और अनुपूरक संकेतकों, और संकेतकों पर आधारित सीसीसीबी का अंशांकन शामिल है। इस बफर अपेक्षा के कार्यान्वयन की घोषणा पहले कर दी जाएगी और चार तिमाहियों का आरंभिक समय दिया जाएगा, ताकि सीसीसीबी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय मिले।

प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण स्वदेशी बैंकों (डी-एसआईबी) के साथ व्यवहार हेतु रूपरेखा

VI.17 प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण वैश्विक बैंकों के अभिनिर्धारण की विश्वयापी प्रथा के अनुसार ही रिज़र्व बैंक ने भी डीएसआईबीएस के साथ व्यवहार करने के लिए रूपरेखा जारी की है, जिसमें प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण स्वदेशी बैंकों के अभिनिर्धारण हेतु प्रविधि और प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण स्वदेशी बैंकों के लिए अतिरिक्त विनियामक/पर्यवेक्षी नीति पर विचार किया गया। प्रणालीगत रूप से महत्त्वपूर्ण स्वदेशी बैंकों के रूप में वर्गीकृत बैंकों के नाम प्रतिवर्ष अगस्त माह में प्रकट किए जाएंगे, यह कार्य 2015 में शुरू होगा।

बृहद एक्सपोजर संरचना

VI.18. किसी एकल प्रतिपक्ष या सहसम्बद्ध प्रतिपक्षों के समूह के पास किसी बैंक की आस्तियों के संकेन्द्रण में प्रणालीगत जोखिम

रहता है। तदनुसार, रिज़र्व बैंक ने अन्तरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार संस्थागत व्यवस्था विकसित की है ताकि बड़े एक्सपोजरों से बचाव और सहज उपचारात्मक कार्रवाई को प्रोत्साहित किया जा सके।

कॉरपोरेट बॉन्डों पर आंशिक ऋण बढ़ोतरी

VI.19 वर्ष 2014-15 के दौरान उन तरीकों को तलाशा गया जिनसे अपनी दीर्घावधि संसाधन अपेक्षाओं के लिए कॉरपोरेटों को बैंकों से वित्त पर निर्भरता को कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इसके अनुक्रम में बैंकों को प्रारूपी-दिशानिर्देश जारी किए गए कि निगम-गत बॉण्डों के लिए आंशिक ऋण बढ़ोतरी की जाए। इस बारे में अंतिम दिशानिर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

दबावग्रस्त आस्तियों की क्षमता बढ़ाना

VI.20 परियोजनागत वित्त संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ अधिकाधिक संरूपित करने की दिशा में बढ़ने हेतु बैंकों को अनुमति दी गई कि

बॉक्स VI.1

बृहद एक्सपोजर संरचना और बाज़ार प्रणाली के माध्यम से ऋण आपूर्ति में बढ़ोतरी से संबंधित चर्चा-पत्र

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संकेन्द्रण जोखिम पर ध्यान देने के लिए प्रतिपक्षों और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक्सपोजर संबंधी विनियामक और सांविधिक सीमाओं का निर्धारण किया गया है। सन 1989 से ही रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों के एकल और सामूहिक उधारकर्ताओं से संबंधित एक्सपोजर के लिए विनियामक सीमाएं निर्धारित की जा रही है। वर्तमान में एक्सपोजर सीमाएँ पूँजी-निधियों के क्रमशः 15 और 40 प्रतिशत पर रखी गई हैं। अवसंरचनागत वित्तपोषण के लिए अतिरिक्त सीमाओं की अनुमति है। बैंक के बोर्ड के विशेष विवेकाधिकार के तहत एक्सपोजर की ये सीमाएँ पूँजी-निधियों के क्रमशः 25 प्रतिशत और 55 प्रतिशत तक रखी जा सकती हैं। इसके अलावा, प्रतिपक्ष, क्षेत्रगत और क्रियाकलाप आधारित कुछ अन्य एक्सपोजर सीमाएं भी हैं (सारणी 1)।

बृहद एक्सपोजरों के क्षेत्र में अन्तरराष्ट्रीय नियामक समरूपता लाने के उद्देश्य से बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने अप्रैल 2014 में 'सुपरवाइजरी फ्रेमवर्क फॉर मेजरिंग एन्ड कन्ट्रोलिंग लार्ज एक्सपोजर्स' जारी किए जो कि 1 जनवरी 2019 से पूरी तरह से लागू हो जाएंगे। तदनुसार किसी एकल प्रतिपक्ष या सह-संबद्ध प्रतिपक्षों के किसी एक समूह के लिए किसी बैंक के सभी एक्सपोजर परिमाणों का योग हर समय संबंधित बैंक के उपलब्ध पात्र पूंजीगत आधार अर्थात बासेल-III कैपिटल फ्रेमवर्क में परिभाषित मानदंडों को पूरा करने वाली टीयर-I पूंजी की प्रभावी रकम के 25 प्रतिशत से उच्चतर नहीं होना चाहिए।

रिज़र्व बैंक का भी प्रयास है कि भारत में एक्सपोजर सीमाओं (एकल और समूह दोनों) को बीसीबीएस लार्ज एक्सपोजर्स फ्रेमवर्क के अनुरूप किया जाए। लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क के बारे में एक विमर्श-आलेख 27 मार्च 2015 को जारी किया गया था। जिसमें संबंधित पहलुओं के बारे में विचार मांगे गए, जैसे कि बड़े कॉरपोरेटों द्वारा बैंकों से लिए जाने वाले उधारों के अनुपात को प्रतिबंधित करना और उनसे दीर्घावधिक वित्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाजार-व्यवस्था (कॉरपोरेट बॉन्ड, कमर्शियल पेपर, और अन्य लिखतों) का प्रयोग करवाना।

सारणी 1 : प्रमुख एक्सपोजर सीमाएँ

विशिष्ट प्रतिपक्ष/क्षेत्र/क्रियाकलाप	विनियामक एक्सपोजर सीमाएँ
गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां जो मुख्य तौर पर स्वर्ण- आभूषणों के बदले ऋण देने में संलग्न हैं	सीएफ का 7.5 प्रतिशत; अवसंरचना कार्यों हेतु इसे सीएफ के 5 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।
अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (एएफसी / आईएफसी को छोड़कर)	सीएफ का 10 प्रतिशत; अवसंरचना कार्यों हेतु इसे सीएफ के 5 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।
पूँजी बाज़ार में प्रत्यक्ष एक्सपोजर	निवल मालियत का 20 प्रतिशत
पूँजी बाज़ार में समग्र एक्सपोजर	निवल मालियत का 40 प्रतिशत
मांग मुद्रा बाजार से उधार लेना	पाक्षिक औसत के आधार पर सीएफ का 100 प्रतिशत ; किसी भी दिन इसे सीएफ के 125 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।
मांग मुद्रा बाजार को उधार देना	पाक्षिक औसत के आधार पर सीएफ का 25 प्रतिशत; किसी भी दिन इसे सीएफ के 50 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।
अंतर-बैंक देयताएं	विगत वर्ष की 31 मार्च को निवल मालियत का 200 प्रतिशत ;न्यूनतम 11.25 प्रतिशत सीआरएआर वाले बैंकों के लिए निवल मालियत के 300 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है।
अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा जारी लिखतों में निवेश और निर्गमकर्ता बैंकों/वित्तीय संस्थानों की पूँजी स्थिति के लिए पात्र ।	सीएफ का 10 प्रतिशत*
अन्य बैंक के इक्विटी शेयरों में निवेश	निवेशिती बैंक की इक्विटी पूंजी का 5 प्रतिशत*
लीजिंग, किराया खरीद और फैक्टरिंग संवाएं	ऐसे प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए बैंक के कुल अग्रिमों का 10 प्रतिशत

*: किसी संविधि के प्रावधानों के तहत किसी अन्य बैंक में एक बैंक/वित्तीय संस्था की इक्विटी होल्डिंग निर्धारित सीमाओं के दायरे से बाहर रहेगी।
एएफसी-आस्ति वित्तपोषण कम्पनियां; आईएफसी-अवसंरचना वित्तपोषण कम्पनियां सीआरएआरः पूंजी और जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात; एफआईः वित्तीय संस्थान

(जारी....)

भारत में लार्ज एक्सपोजर वह है जिसमें किसी बैंक को एक प्रतिपक्षी या सह-समबद्ध प्रतिपक्षों के समूह से एक्सपोजर के सभी परिमाणों का योग उस बैंक के पात्र पूंजीगत आधार के 10 प्रतिशत के बराबर या अधिक हो। केन्द्र सरकार, रिज़र्व बैंक, अंतर-दिवसीय एक्सपोजरों, अंतर-समूह एक्सपोजरों और अर्हता प्राप्त सेन्ट्रल काउन्टर पार्टियों के क्लीयरिंग एक्सपोजरों को लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क के तहत लार्ज एक्सपोजर सीमा में शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों और प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (एसआईबीएस), विश्वव्यापी और स्वदेशी दोनों (जीएसआईबी और डी-एसआईबी), के रूप में प्रतिपक्षों के लिए विभेदीकृत सीमाओं को लागू किया जाता है। एकल नाम वाले प्रतिपक्षों के मामले में बैंकों को उनकी वर्तमान एक्सपोजर सीमा सह-सम्बद्ध प्रतिपक्षों को रिज़र्व बैंक के वर्तमान मानदंडों के तहत केवल 'नियंत्रण' मानदंड के बदले में 'नियंत्रण' के साथ-साथ आर्थिक रूप से आपसी निर्भरता के आधार पर अभिनिर्धारित किया जाएगा। लार्ज एक्सपोजर फ्रेमवर्क के तहत एक्सपोजरों के आकलन की अनुमति जोखिम आधारित पूंजीगत फ्रेमवर्क तकनीकों के आधारपर क्रेडिट जोखिम लघुकरण (सीआरएम) समायोजन को हिसाब में लेने के बाद दी जाएगी। संरचनागत उत्पादों में अन्तर्निहित प्रतिपक्षों से एक्सपोजर का निर्धारण करने के लिए 'अनुसंधान परक दृष्टिकोण' पर विचार किया जाए।

सबसे बड़े 10 बैंक के सर्वोच्च 20 सामूहिक उधारकर्ताओं के एक्सपोजरों के अध्ययन से प्रकट होता है कि सह-सम्बद्ध प्रतिपक्षों के समूहों को औसत एक्सपोजर इन बैंकों के सीएफ का 10.6 प्रतिशत है, जबकि अनुमेय सीमा सीएफ का 40 प्रतिशत है। टीयर-। पूंजी की दृष्टि से वर्तमान औसत एक्सपोजर 14.75 प्रतिशत है जबकि प्रस्तावित लार्ज एक्सपोजर सीमा 25 प्रतिशत है। इसलिए, यह अनुमान है कि प्रस्तावित लार्ज एक्सपोजर सीमा का अनुपालन करते समय सामूहिक एक्सपोजरों के बारे में बैंकों को किसी महत्वपूर्ण कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।

एक परियोजना के आरंभिक आर्थिक जीवन के 80 प्रतिशत अंशों तक संरचनागत दीर्घावधि परियोजना ऋण प्रदान करें, इसमें आस्ति-देयता के बीच बेमेलपन, एक सीमा तक निधियों की लागत में बढ़ोतरी से बचने के लिए आवधिक रूप से पुनः वित्तपोषण का और उधारकर्ता संस्था के स्वामित्व में परिवर्तन के परिणामस्वरूप वाणिज्यिक परिचालनों को आरंभ करने की तारीख को बढ़ाये जाने का विकल्प रहे। इन उपायों से आशा है कि परियोजनागत वित्त में जटिलताओं से निपटने में बैंकों की क्षमता में और मजबूती आएगी।

ऋण की युक्तिपूर्ण पुनर्संरचना (एसडीआर)

VI.21 पुनर्संरचना पैकेज के तहत परियोजना को सक्षम बनाने वाले लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल होने वाले खातों के स्वामित्व में परिवर्तन आरंभ करने के लिए बैंकों की क्षमताओं को बढ़ाने के प्रयोजन से रिज़र्व बैंक ने जून 2015 में एसडीआर योजना का सूत्रपात किया। एसडीआर के तहत संयुक्त उधारदाता मंच (जेएलआर) का संरक्षण प्राप्त लेनदार अपनी ऋण की बकाया को रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित कीमत-निर्धारण फार्मूले के अनुसार 'उचित कीमत' पर इक्विटी शेयरों में बदल सकते हैं, कतिपय शर्तों के अधीन इन शेयरों को सेबी के आईसीडीआर (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमावली 2009 से छूट प्राप्त है। इस संपरिवर्तन के बाद संयुक्त उधारदाता मंच में शामिल उधारदाता सामूहिक रूप से प्रमुख शेयरधारक बन जाते हैं। आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के प्रयोजन से एसडीआर को पुनर्संरचना नहीं माना जाएगा। कम्पनी के कार्यों को चलाने के लिए संयुक्त उधारदाता मंच द्वारा उचित व्यवसायी प्रबंधन वर्ग नियुक्त किया जा सकता है और इसमें अपनी होल्डिंग का यथाशीघ्र विनिवेश किया जाना चाहिए। इस बारे में यूनियन बजट 2015-16 में समेकित ऋणशोधन अक्षमता संहिता के प्रस्ताव से संभावित है कि पुनर्संरचना और वसूली प्रक्रिया में तेजी, स्पष्टता, अनुमानपरकता और निष्पक्षता आएगी (बाक्स VI.2)।

इरादतन चूककर्ताओं और असहयोगी उधारकर्ताओं के साथ व्यवहार

VI.22 किसी बैंक/वित्तीय संस्थान से कुल निधि-आधारित और गैर-निधि आधारित रुपए 50 मिलियन की सुविधाएँ लेने वाले इरादतन चूककर्ताओं और असहयोगी उधारकर्ताओं से व्यवहार का नियंत्रण करने वाले विनियमों को 2014-15 के दौरान मज़बूत किया गया और बैंकों/वित्तीय संस्थानों को आदेश दिया गया कि असहयोगी उधारकर्ताओं की शिनाख्त और रिपोर्टिंग के लिए पारदर्शी व्यवस्था तैयार करें।

बैंकिंग डोमेन में दो नए प्रतियोगी

VI.23 स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों में रिज़र्व बैंक ने फरवरी 2013 में निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस देने के लिए रूपरेखा तैयार की है। तदनुसार अप्रैल 2014 में इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट फिनान्स कम्पनी लिमिटेड नामक गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी और बंधन फाइनान्शियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नामक गैर-बैंकिंग वित्ती कम्पनी (सूक्ष्म वित्त संस्थान) को बैंक स्थापित करने के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन दिए गए। जून-जुलाई 2015 में

बॉक्स VI.2
भारत में बैंकरप्सी प्रक्रिया

सख्त बैंकरप्सी कानूनों से लेनदार-देनदार संबंधों में मजबूती आती हैं क्योंकि इनसे लेनदारों और देनदारों दोनों के अधिकारों का संरक्षण होता है, अनुमान-परकता बढ़ती है, उधार देने के साथ जुड़े हुए जोखिम स्पष्ट हो जाते हैं, और बैंककरप्सी प्रक्रियाओं के माध्यम से ऋण का कुशलतापूर्वक संग्रह सुनिश्चित हो जाता है। यूनियन बजट 2015-16 में बैंकरप्सी कानूनों में सुधारों का अभिनिर्धारण महत्वपूर्ण प्राथमिकता के रूप में किया गया और विश्वव्यापी मानकों के अनुरूप ही समेकित बैंकरप्सी संहिता का प्रस्ताव किया गया ताकि आवश्यक न्यायिक क्षमता का प्रावधान किया जा सके। इससे विधिक निश्चितता, गति और कारोबार में सहजता की बढ़ोतरी संभावित है।

इस समय भारत में कॉरपोरेट बैंकरप्सी के बारे में कोई समेकित नीति/कानून नहीं है। खस्ताहाल कम्पनियों के पुनरुत्थान और पुनर्स्थापन के लिए अपनी सुपरिचित कमियों के बावजूद रुग्ण औद्योगिक कम्पनियाँ (विशेष उपबंध) अधिनियम (एसआइसीए), 1985 अभी तक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कॉरपोरेट पुनर्संरचना कानून के रूप में विद्यमान है। भारत में कॉरपोरेट संरक्षा शासन को सुधारने के लिए अन्य विधायी प्रयासों को अभी तक परिचालन स्तर पर नहीं लाया गया है। उदाहरण के लिए, सभी कम्पनियों के लिए अनुमेय कम्पनी अधिनियम, 2013 के अध्याय-XIX में व्यापक और अधिक संतुलित निगम संरक्षा प्रक्रिया का प्रावधान है, लेकिन इसे अभी तक प्रर्वतन हेतु अधिसूचित नहीं किया गया है। इसी प्रकार रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के संबंध में शक्तियों के प्रयोग हेतु कम्पनी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002 में राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण का प्रावधान है, जो अभी अधिसूचित किया जाना बाकी है।

विद्यमान कमियों को दूर करने की दृष्टि से अगस्त 2014 में बैंककरप्सी विधि सुधार समिति (बीएलआरसी) (अध्यक्षः श्री टी. के. विश्वनाथन) की स्थापना हुई वर्तमान विधिक संरचना के परीक्षण और तात्कालिक सुधारों का सुझाव देने, और व्यक्तिगत तथा कारोबारी दिवालियेपन के सभी पहलुओं को शामिल करते हुए भारत हेतु 'दिवालिया संहिता' तैयार करने का कार्य सौंपा गया है अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार बैंकरप्सी विधि सुधार समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं :

- यदि देनदार कम्पनी मांग का नोटिस प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर एकल निर्विवाद ऋण के निर्धारित मूल्य की चुकौती में विफल रहती है, या ऋण चुकाने की अक्षमता की संभावना के आधारों पर पूर्वापेक्षा के रूप में संरक्षित लेनदार द्वारा बचावकारी प्रक्रिया शुरु की जा सकती है।
- ऋण के 25 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करने वाले असंरक्षित लेनदार उस देनदार कम्पनी के खिलाफ बचावकारी प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं।
- कम्पनी रुग्ण घोषित हो जाने पर मूल्य में 75 प्रतिशत संरक्षित लेनदार सीधे ही कम्पनी प्रशासक नियुक्त कर सकेंगे।
- कम्पनी अधिनियम 2013 में संशोधन ताकि पुनरुत्थान की योजना की स्वीकृति के समय एक ही वर्ग के लेनदारों से समान व्यवहार हो, और असहमत लेनदार उतना तो प्राप्त करें जितना लिक्विडेशन में प्राप्त करते।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और विकास अधिनियम, 2006 में संशोधन कर प्रशासनिक व्यवस्था की जाए ताकि बैंकों द्वारा संकटग्रस्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों हेतु समितियों के माध्यम से सक्षम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के वित्तीय संकट का समाधान किया जा सके।
- यूएस और यूके की बैंकरप्सी संहिताओं में बैंकरप्सी घोषित करने के लिए दायर दावों के प्रवर्तन हेतु स्वतः/अंतरिम ऋण स्थगन का प्रावधान है। हालांकि एसआइसीए के तहत स्वतः ऋण स्थगन के साथ समस्याओं को देखते हुए प्रस्ताव है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के वर्तमान प्रावधानों को बरकरार रखा जाए, जबकि ऋण स्थगन देने या नहीं देने के बारे में एनसीएलटी द्वारा विवेक का प्रयोग करने के बारे में स्पष्ट सिद्धान्तों का निर्धारण किया जाए।

भारत में बैंकरप्सी प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने हेतु समेकित और तात्कालिक संरचना बैंकरप्सी विधि सुधार समिति को तैयार करनी होगी। इससे देश में क्रेडिट परिवेश में महत्त्वपूर्ण सुधार होगा।

सन्दर्भः

भारत सरकार (2015), 'बैंकरप्सी विधि सुधार समिति की अंतरिम रिपोर्ट,' वित्त मंत्रालय.

आइडीएफसी को भारत में बैंकिग कारोबार करने के लिए लाइसेन्स प्रदान किया गया।

विशिष्ट कार्यसाधक बैंकों को लाइसेंस

VI.24 'भुगतान बैंकों' और 'लघु वित्त बैंकों' से संबंधित दिशानिर्देश 27 नवम्बर 2014 को जारी कि गए। ये बैंक 'विशिष्ट' या 'विशिष्ट कार्यसाधक' बैंक है और इनका सामान्य उद्देश्य है वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाना। रिज़र्व बैंक को लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों के लिए क्रमशः 72 और 41 आवेदन प्राप्त हुए हैं जो कि समीक्षाधीन है। अभी 11 आवेदकों को भुगतान बैंक स्थापित करने के लिए सिद्धांतः अनुमोदन प्रदान किया गया है।

अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा सुविधा केन्द्र (आइएफएससी) की सुविधा हेतु नवीन बैंकिंग संरचना

VI.25 गुजरात अन्तरराष्ट्रीय वित्त टेक-सिटी में आईएफएससी की स्थापना करने की भारत सरकार की घोषणा का अनुसरण करते हुए रिज़र्व बैंक ने आईएफएससी बैंकिंग इकाइयाँ स्थापित करने के लिए एक योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत जीआईएफटी और सुदृढ़ विनियामक ढाँचे वाली अन्य भावी आईएफएससी की संस्थाओं को वित्तीय सेवाएँ प्रदान की जाएंगी। आईबीयू से अपेक्षा है कि वह अनिवासी और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 2009 के प्रावधानों के अधीन आने वाले निवासियों को भी वित्तीय सेवाएं प्रदान करेगी।

कॉरपोरेट गवर्नेन्स

VI.26 रिज़र्व बैंक द्वारा स्थापित भारत में बैंकों के गवर्नेन्स बोर्डों की समीक्षा समिति (अध्यक्षः डॉ. पी. जे. नायक) की सिफारिशों के अनुसरण में बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए गए कि - बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों के लिए अधिकतम आयु-सीमा निर्धारित की जाए; सात महत्वपूर्ण विषयों को समीक्षा कैलेन्डर के स्थान पर लिया जाए; और कार्यपालक से इतर निदेशकों को मुहावज़ा। इसके अलावा, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद को कार्यपालक प्रबंध निदेशक और गैर-कार्यपालक अध्यक्ष दो पदों में विभाजित कर दिया गया है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में गैर-कार्यपालक अध्यक्ष की नियुक्ति की नवीकृत प्रक्रिया सरकार द्वारा आरंभ की जा चुकी है।

केवाईसी मानदंडों को सरल किया गया

VI.27 अप्रैल 2014 में केवाईसी दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया ताकि बैंक खातों को खोलने और उनके परिचालन में कठिनाइयों को सहज किया जा सके। तदनुसार केवाईसी को नवीकृत करते समय 'कम जोखिम' वर्ग वाले ग्राहक का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। अपरिवर्तित स्थिति के मामले में 'कम जोखिम' वाले ग्राहकों हेतु नवीकरण करते समय पहचान और पते का नया प्रमाण जरूरी नहीं है। प्रमाण को स्वयं-प्रमाणित करने की अनुमति है और बैंक डाक/मेल से प्राप्त प्रमाणित प्रतिलिपि स्वीकार कर सकते हैं; और यदि कोई केवाईसी अनुपालन कर चुका ग्राहक उसी बैंक में दूसरा खाता खोलने का इच्छुक है तो नए कागजात की जरूरत नहीं है। खाता खोलते समय बैंक अब तृतीय पक्ष की यथोचित सतर्कता पर भरोसा कर सकते हैं, बशर्ते तृतीय पक्ष नियंत्रित और पर्यवेक्षित हो और ग्राहक के साथ यथोचित सतर्कता के अनुपालन हेतु पर्याप्त उपाय किए गए हों।

केवाईसी अनुपालन नहीं होने के मामले में खातों की आंशिक रूप से फ्रीजिंग

VI.28 बार-बार अनुस्मारकों के बावजूद केवाईसी अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं होने के मामले में बैंकों को चाहिए कि ऐसे खातों की चरणबद्ध तरीके से 'आंशिक रूप से फ्रीजिंग' करें ताकि धनशोधन और आंतकवादियों के लिए वित्त व्यवस्था के खतरे को कम किया जा सके। यदि 'आंशिक फ्रीजिंग' के छह माह के बाद भी खाते हेतु केवाईसी का अनुपालन नहीं होता तो बैंक ऐसे खाते को 'निष्क्रिय' कर सकते है। ऐसे खाते को केवाईसी कागज़ात प्रस्तुत करके पुनः संचालित किया जा सकता है।

जमाराशि प्रतिदेयता, विभेदक दरों हेतु एकमात्र मानदंड

VI.29 बैंकों को 16 अप्रैल 2015 से यह अनुमति दी गई है कि वे कतिपय शर्तों के अधीन ₹10 मिलियन से कम की जमाराशियों के लिए समयावधि और समयपूर्व-आहरण सुविधा के आधार पर और ₹10 मिलियन और इससे अधिक की जमाराशियों पर मात्रा, समयावधि और समयपूर्व-आहरण सुविधा के आधार पर सावधि जमाराशियों पर विभेदक ब्याज दर दे सकते हैं। हालांकि व्यक्तियों से संबद्ध ₹1.5 मिलियन और इससे कम की सभी सावधि जमाराशियों (एकल अथवा संयुक्त रूप से धारित) के लिए समयपूर्व-आहरण सुविधा अनिवार्यतया होनी चाहिए।

दंडात्मक प्रभारों को औचित्यपूर्ण बनाना

VI.30 1 अप्रैल 2015 से बैंकों से अपेक्षित है कि निष्क्रिय बचत खातों में न्यूनतम शेष नहीं रखने के लिए दंडात्मक प्रभार लगाने से पहले ग्राहक को एसएमएस/ईमेल/पत्र द्वारा सूचित करें। इसके अलावा, दंडात्मक प्रभारों को प्रत्यक्ष रूप से पाई गई कमी की सीमा

के समानुपात में होना चाहिए और ग्राहक को नोटिस देने की तारीख से एक माह के बाद लगाया जाना चाहिए।

बीमा उत्पादों का वितरण

VI.31 बीमा वितरण क्रियाकलापों का संचालन करने वाले बैंकों को ग्राहक संरक्षण हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए, उदाहरण के लिए - जब ग्राहक कोई उत्पाद खरीदने की इच्छा प्रकट करे केवल तभी बीमा उत्पाद बेचते समय ग्राहक की उपयुक्तता सुनिश्चित की जाए, कमीशन/प्रोत्साहन राशि का भुगतान सीधे ही स्टाफ को किए जाने पर निषेध, बीमाकर्ता से अर्जित ब्रोकरेज/शुल्क का प्रकटीकरण करने में पारदर्शिता, केवाईसी दिशानिर्देशों का अनुपालन और शिकायतों के निवारण की मज़बूत व्यवस्था की जरूरत।

2015-16 की कार्यसूची

VI.32 2014-15 में विनियामक क्रियाकलापों का मार्गदर्शन करने वाली स्थिति को जारी रखते हुए आगामी वर्ष बढ़े एक्सपोजर की पद्धति और एनएसएफआर हेतु फाइनल फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन प्रस्तावित है। इसके अलावा, प्रतिपक्ष से क्रेडिट जोखिम एक्सपोजरों, पिलर-3 प्रकटीकरणों और प्रतिभूतिकरण फ्रेमवर्क पर विचार विमर्श हेतु प्रारूपी दिशानिर्देश रिज़र्व बैंक जारी करेगा। ये विनियम अपने-अपने क्षेत्रों में संशोधित बीसीबीएस के मानदंडों को प्रकट करेंगे।

VI.33 अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक अंगीकार कर चुके बैंकों के लिए अनुमेय लेखांकन मानकों के समानुरूपण की दिशा में भी रिज़र्व बैंक उचित उपाय आरंभ करेगा। लघु वित्त बैंकों/भुगतान बैंकों की स्थापना करने हेतु उपयुक्त आवेदकों को सिद्धान्त रूप से अनुमोदन जारी किए जाएंगे, जबकि उनके लिए विनियामक रूपरेखा का निरूपण किया जाएगा। स्थानीय क्षेत्र बैंकों (एलएबी) के भविष्य पर परामर्श प्रक्रिया आरंभ की जाएगी, जबकि यूनिवर्सल बैंकों की ऑन टैप लाइसेंसिंग के लिए प्रारूपी दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

VI.34 सरकारी क्षेत्र के बैंकों में परिलब्धियों और व्यवसायीकरण सहित गर्वनेन्स सुधारों के बारे में नायक समिति की कुछ प्रमुख सिफारिशों का कार्यान्वयन आगे बढ़ाया जाएगा। अधिक प्रभावी मौद्रिक अंतरण के लिए बैंकों द्वारा अपनी आधार-दर के निर्धारण हेतु समय-बद्ध रीति से निधियों की सीमांत लागत आधारित निर्धारण हेतु प्रेरित किया जाएगा। इसके अलावा, भारत में विदेशी बैंकों की मौजूदगी के बारे में वर्तमान रूपरेखा की समीक्षा उदीयमान अन्तरराष्ट्रीय गतिविधियों के साथ-साथ अब तक प्राप्त अनुभवों के अनुसार की जाएगी। नवम्बर 2013 में जारी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई रूपरेखा के विभिन्न पक्षों के बारे में बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न जारी किए जाएंगे ताकि अतिरिक्त स्पष्टता आ सके। निजी क्षेत्र के बैंकों में स्वामित्व के बारे में भी दिशानिर्देश तैयार किए जाएँगे जिसमें मताधिकार की अधिकतम सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत करना भी शामिल होगा।

सहकारी बैंक - सहकारी बैंक विनियमन विभाग (डीसीबीआर)

VI.35 भारतीय वित्तीय प्रणाली में शहरी सहकारी बैंक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए रिज़र्व बैंक ने हमेशा यह प्रयास किया है कि विनियामक और पर्यवेक्षी रूपरेखा को मज़बूत बनाया जाए ताकि वे गवर्नेन्स की दृष्टि से वित्तीय रूप में मजबूती से सामने आएं। राज्य सहकारी बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों के अलावा शहरी सहकारी बैंकों के लिए विनियम बनाने में सहकारी बैंक विनियमन विभाग अग्रणी भूमिका निभाता है।

2014-15 की कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

VI.36 सहकारी बैंक विनियमन विभाग के 2014-15 की कार्यसूची में पर्यवेक्षी कार्रवाई की संशोधित रूपरेखा निर्धारित करने, शहरी सहकारी बैंकों को वाणिज्य बैंकों में संपरिवर्तित करने और शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों और देयताओं को वाणिज्य बैंकों द्वारा टेक-ओवर करने में सुविधा हेतु विधिक/विनियामक संशोधनों पर फोकस किया गया है। तदनुसार 2014-15 में पर्यवेक्षी कार्रवाई की संशोधित रूपरेखा तैयार की गई। शहरी सहकारी बैंकों को वाणिज्य बैंकों में संपरिवर्तित करने में सुविधा के लिए विधिक संशोधनों के बारे में यद्यपि कम्पनी अधिनियम 2013 में समर्थनकारी प्रावधान हैं, तथापि बहुराज्यीय सहकारी अधिनियम में तदनुरूपी प्रावधानों की जरूरत है, जिनके बारे में सरकार के साथ विचार चल रहा है।

वाणिज्य बैंकों द्वारा शहरी सहकारी बैंकों की आस्तियों और देयताओं को टेकओवर करने के बारे में वर्ष के दौरान विनियमों में आवश्यक सुधार किए गए। यह वाणिज्य बैंकों को उचित कीमत के आधार पर प्रयास को पूरा करने लायक बनाता है। वर्ष के दौरान अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियां इस प्रकार रहीं :

आरक्षित निधि अपेक्षाएँ

VI.37 बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम 2012 लागू होने के अनुसरण में गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों हेतु नकदी आरक्षित निधि अनुपात अपेक्षाओं और सभी शहरी सहकारी बैंकों हेतु सांविधिक चलनिधि अनुपात अपेक्षाओं को वाणिज्यिक बैंकों के समानुरूप किया गया। तदनुसार शहरी सहकारी बैंकों से अपेक्षित था कि वे 31 मार्च 2015 तक निर्दिष्ट सांविधिक चलनिधि अनुपात का अनुपालन करें। राज्य सहकारी बैंकों / जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के पास जमा-राशियों और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के पास जमा सावधि जमाराशियों को 1अप्रैल 2015 से सांविधिक चलनिधि अनुपात में शामिल करने का पात्र नहीं माना गया है। राज्य सहकारी बैंकों और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों से यह भी अपेक्षित है कि 1 अप्रैल 2015 से केवल अनुमोदित प्रतिभूतियों के रूप में सांविधिक चलनिधि अनुपात रखरखाव करें। समीक्षा के बाद उन्हें अनुमति दी गई कि 31मार्च 2017 तक चरणबद्ध रूप में अपनी सांविधिक चलनिधि अनुपात हेतु सावधि जमाराशियों को अनुमोदित प्रतिभूतियों में शिफ्ट करें।

अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों को चलनिधि समायोजन सुविधा प्रदान करना

VI.38 चलनिधि प्रबंधन हेतु अतिरिक्त मार्ग प्रदान करने की दृष्टि से 28 नवम्बर 2014 से चलनिधि समायोजन सुविधा का विस्तार उन अनुसूचित सहकारी बैंकों तक किया गया जो कोर बैंकिंग समाधान समर्थित हैं, जिनकी पूंजी और जोखिम भारित आस्तियों का अनुपात (सीआरएआर) कम-से-कम 9 प्रतिशत है और जो चलनिधि समायोजन सुविधा के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों का पूर्णतया अनुपालन करते हैं।

प्रौद्योगिकी अभिग्रहण

VI.39 वित्तीय प्रणाली के साथ समाहित करने और विनियामक रिपोर्टिंग में सुधार लाने के प्रयोजन से शहरी सहकारी बैंकों को सूचित किया गया कि वे 31 दिसम्बर 2014 तक सीबीएस का कार्यान्वयन करें। जून 2015 के अंत तक 1577 में से 1040 शहरी सहकारी बैंकों ने सीबीएस क्रियान्वित किया गया। वित्तीय रूप से सुदृढ़ और सुप्रबंधित (एफएसडब्ल्यूएम) बैंक मानने के लिए सीबीएस के कार्यान्वयन का निर्धारण अतिरिक्त मानदंड के रूप में किया गया है, इस मानदंड का प्रयोग शहरी सहकारी बैंकों को विभिन्न सुविधाएँ प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिनमें नई शाखाओं का खोलना भी शामिल है। पारदर्शिता और उद्देश्यपरकता लाने के प्रयोजन से एक बैंक को एफएसडब्ल्यूएम के रूप में वर्गीकृत करने के लिए विगत दो वित्तीय वर्षों के दौरान 'विनियामक सहूलियत' जैसे महत्त्वपूर्ण पहलू को पुन परिभाषित किया गया ताकि मानक विनियामक प्रावधानों की अनुपालन को शामिल किया जा सके।

VI.40 वित्तीय रूप से सुदृढ़ और सुप्रबंधित शहरी सहकारी बैंकों को अपने ग्राहकों को इन्टरनेट बैंकिंग (केवल अवलोकन) सुविधाएँ देने की अनुमति है, बशर्ते वे इन्टरनेट प्रोटोकॉल वर्शन 6(IPv6) का प्रयोग कर रहे हों। वे रिज़र्व बैंक की पूर्व-अनुमति लिए बिना ही ऑन साइट/ऑफ साइट/ मोबाइल एटीएम भी खोल सकते हैं, बशर्ते उनकी न्यूनतम निवल मालियत ₹0.5 बिलियन हो।

VI.41 इसी प्रकार कारोबार बढ़ाने और अपने ग्राहकों को प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएँ प्रदान करने के लिए राज्य सहकारी बैंकों को अधिकाधिक स्वतंत्रता देने की दृष्टि से राज्य सहकारी बैंक भी रिज़र्व बैंक का पूर्व-अनुमोदन लिए बिना कतिपय निर्धारित मानदंडों का पालन करते हुए ऑफ साइट/मोबाइल स्वत चालित टेलर मशीन (एटीएम) खोल सकते हैं, इन उपायों का लक्ष्य है कि सहकारी बैंकों को वाणिज्य बैंकों के समकक्ष ले आया जाए।

शहरी सहकारी बैंकों के लिए पर्यवेक्षी कार्रवाई रूपरेखा

VI.42 जैसाकि विगत वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया था कि दबाव की यथाशीघ्र पहचान और उसके निवारण के लिए शहरी सहकारी बैंकों के मामले में पर्यवेक्षी/ विनियामक कार्रवाई को जरूरी बताने वाले ट्रिगर प्वाइंट को संशोधित किया गया है। शहरी सहकारी बैंकों से अपेक्षित है कि वे सुधारात्मक कार्रवाई करें, यदि अग्रिमों और सकल गैर-निष्पादक आस्तियों का अनुपात10 प्रतिशत से अधिक हो जाए या विगत दो लगातार वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वृद्धिशील सकल गैर निष्पादक आस्ति अनुपात 3 प्रतिशत अंक रहा हो, दोनों में से जो भी स्थिति पहले हो। विनियामक पूँजी का 9 प्रतिशत से नीचे गिरना, लगातार दो वर्षों में हानि होना, और क्रेडिट-डिपॉजिट

अनुपात 70 प्रतिशत से अधिक होना सुधारात्मक कार्रवाई के अन्य ट्रिगर हैं।

VI.43 शहरी सहकारी बैंकों के बोर्डों को सूचित किया गया है कि वे ₹10 मिलियन और इससे अधिक की रकम की धोखाधड़ी के मामलों की अलग से निगरानी और अनुसरण के लिए विशेष समिति का गठन करें, जबकि सामान्य तौर पर धोखाधड़ी के अन्य सभी मामलों की निगरानी बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति करती रहेगी। शहरी सहकारी बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे चारों क्रेडिट इनफॉर्मेशन कम्पनियों के सदस्य बनें और उन्हें हिस्टारिकल डाटा प्रदान करें ताकि क्रेडिट आसूचना की परिशुद्धता बढ़ सके।

2015-16 की कार्यसूची

VI.44 शहरी सहकारी बैंकों हेतु उच्च शक्तिप्राप्त समिति (अध्यक्ष - श्री आर. गाँधी) का गठन किया गया है जिसने अन्य बातों के साथ-साथ शहरी सहकारी बैंकों के कारोबार, आकार, रूपांतरण और लाइसेंसिंग शर्तों की जाँच करने और समुचित सेट की सिफारिश करने संबंधी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति की सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इसी वर्ष के दौरान इन्हें लागू करने पर विचार किया जाएगा। इसी वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा शहरी सहकारी बैंकों में सांविधिक लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के उपाय आरंभ किए जाएंगे। शहरी सहकारी बैंकों और ग्रामीण सहकारी बैंकों के विनियमन में सामंजस्य की प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियाँ : गैर-बैंकिंग विनियमन विभाग

VI.45 गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी क्षेत्र के विनियमन का मार्गदर्शन वित्तीय स्थिरता का संरक्षण करते हुए ऋण वितरण की अतिरिक्त प्रणालियों को प्रोत्साहन देने की जरूरत से होता है। गैर बैंकिंग विनियमन विभाग का गठन पूर्ववर्ती गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को संविभाजित करके किया गया है, जो कि गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों और आत्मनिर्भर प्राथमिक डीलरों के विनियमन हेतु नोडल विभाग है। विश्वव्यापी वित्तीय संकट को प्रबल बनाने में शैडो बैंकिंग की भूमिका के साथ-साथ स्वदेशी स्तर पर गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की बढ़ती हुई भूमिका को ध्यान में रखते हुए 2014-15 के दौरान रिज़र्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के विनियमन में कमियों को सुधारने और विनियमों में सामंजस्य पर फोकस किया ताकि ऋणों के वितरण के नए तरीके और अंतिम छोर तक पहुंच हो सके। इसके अलावा, 2008-09 के दौरान तत्कालीन आंध्र प्रदेश में संकट के बाद गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी एमएफआई द्वारा महत्त्वपूर्ण प्रगति के परिप्रेक्ष्य में वर्ष के दौरान इनके विनियमन की समेकित समीक्षा भी पूरी की गई।

2014-15 की कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए विनियामक रूपरेखा की समीक्षा

VI.46 गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी क्षेत्र अपने आकार, परिचालनों, प्रौद्योगिकीय उत्कृष्टता और वित्तीय सेवाओं और उत्पादों के क्षेत्र में नए क्षेत्रों में प्रवेश की दृष्टि से काफी तेजी से आगे बढ़ा है। तदनुसार, इस क्षेत्र की समस्त विनियामक रूपरेखा की इस दृष्टि से समीक्षा की गई कि समय के साथ-साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के क्रियाकलाप आधारित विनियमन की तरफ बढ़ा जाए, और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि न्यूनतर जोखिम प्रोफाइल वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों का विनियमन नरमी से किया जाए (बॉक्सVI.3)।

गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी विनियमन का संयोजन

VI.47 गैर बैंकिंग क्षेत्र के विनियमों को बैंकिंग क्षेत्र के साथ संयोजित करने से न केवल प्रतिस्पर्धा में बढ़ोतरी होगी बल्कि यह न्यूनतर विनियामक विवाचन में मदद करता है और प्रणालीगत जोखिम की संभावित वृद्धि को बैंकिंग प्रणाली के बाहर ही रखता है। तदनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों द्वारा शेयरों के बदले में ऋण देने, अग्रिमों को नया रूप देने, अवसंरचना और कोर उद्योगों को दीर्घावधिक परियोजना ऋणों की व्यवस्था करने, समयपूर्व ऋण चुकौती प्रभार लगाने और अपरिवर्तनीय ऋणपत्रों के निजी विनियोजन को शामिल करते हुए कई विनियामक प्रयास शुरू किए गए।

शैडो बैंकिंग कार्यान्वयन समूह (एसबीआईजी)

VI.48 शैडो बैंकिंग क्रियाकलापों के प्रति वित्तीय स्थिरता बोर्ड के दृष्टिकोण के अनुसार ही अंतर विनियामक अध्ययन किया गया ताकि भारत में गैर बैंक ऋण मध्यस्थन की प्रकृति की शिनाख्त हो सके। तदनुसार शैडो बैंकिंग कार्यान्वयन समूह का गठन किया गया ताकि वित्तीय स्थिरता बोर्ड के दिशानिर्देशों की तुलना में विनियामक अनुपालना के स्तर का आकलन किया जा सके और सुधारों के कार्यान्वयन हेतु संभावित दृष्टिकोण तैयार हो सके। शैडो बैंकिंग कार्यान्वयन समूह द्वारा अपनी रिपोर्ट की शीघ्र प्रस्तुति अपेक्षित है।

बॉक्स VI.3
गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों की आस्ति गुणवत्ता और संशोधित दिशानिर्देश

हाल ही के वर्षों में अर्थव्यवस्था में धीमापन आते ही समस्त वित्तीय गिरावट के कारण प्रणालीगत रूप से जमा राशि नहीं स्वीकारने वाली महत्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों में भी परिवर्तन आया। मार्च 2015 के अंत में दिए गए ऋण के प्रतिशत की तुलना में उनका सकल एनपीए बढ़कर 4.6 प्रतिशत हो गया (चार्ट 1)।

आरंभिक वित्तीय दबाव को समझने के लिए पहले से चेतावनी देने वाली प्रणाली को मजबूत बनाने की दृष्टि से मार्च 2014 में गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को निर्देश दिया गया कि वे 'विशेष उल्लेख खातों' का उप-आस्ति वर्ग सृजित करें। उन्हें यह भी कहा गया कि संबंधित क्रेडिट जानकारी की रिपोर्ट सेन्ट्रल रिपॉजिटरी ऑफ इनफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट में करें। रियायती संरचना / अवधि के साथ बुनियादी संरचना के लिए दीर्घावधि ऋण (जिसे 5/25 संरचना के रुप में जाना जाता है) देने संबंधी बैंकों को प्रोत्साहित करने वाली योजना का लाभ जनवरी 2015 से एनबीएफसी को भी प्रदान किया गया है।

गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए नवम्बर 2014 में जारी संशोधित विनियामक व्यवस्था में गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए गैर निष्पादक आस्ति मानदंडों को चरणबद्ध तरीके से बैंकों के समरूप किया गया है। तदनुसार किसी ऋण खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत करने की समय-सीमा को मार्च 2018 तक क्रमिक रूप से घटाकर 90 दिन किया जाएगा। इसके अलावा, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के विनियमन को अशोध्य ऋणों की वसूली के मामलों में अन्य वित्तीय संस्थानों के समकक्ष लाने के लिए ₹5 बिलियन और इससे अधिक की आस्ति आकार वाली और रिज़र्व बैंक में पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को सरफेसाई अधिनियम, 2002 के अनुसार 'वित्तीय संस्थान' के रूप में अधिसूचित करने पर विचार किया जाएगा।

विनियामक रूपरेखा में अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन इस प्रकार हैं :

चार्ट 1: सकल एनपीए की प्रवृत्ति
(मार्च अंत की स्थिति)

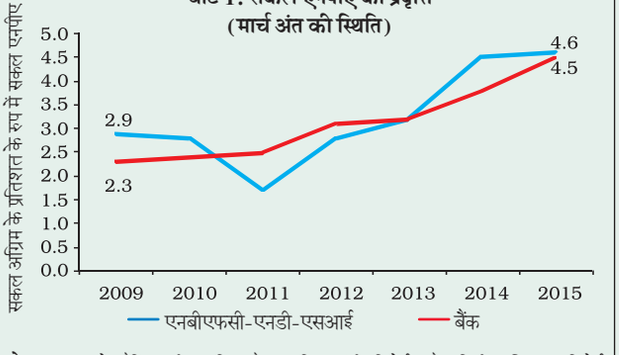

स्रोत: भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट और वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, विविध अंक।

- सभी विद्यमान गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (अप्रैल 1999 से पहले पंजीकृत) के लिए जरूरी है कि मार्च 2017 के अंत तक चरणबद्ध तरीके से न्यूनतम ₹20 मिलियन की निवल स्वामित्वाधीन निधियां हासिल करें, यदि विफल रहे तो उनका पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया जाएगा।
- न्यूनतम निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियां ही जमाराशि स्वीकार कर सकती हैं। जिन विद्यमान आस्ति वित्तीयन कम्पनियों की रेटिंग नहीं हुई है उन्हें मार्च 2016 के अंत तक अपनी रेटिंग करानी होगी। इसके अलावा, जमाराशि स्वीकारने वाली सभी गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए जमाराशि स्वीकार करने की सीमा निवल स्वामित्वाधीन निधि का 1.5 गुणा निर्धारित की गई है।
- जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (एनबीएफसीडी-एनडी-एसआई) के बारे में प्रणालीगत महत्व परिभाषित करने हेतु सीमा को संशोधित करके ₹5 बिलियन कर दिया गया है।
- जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को सीआरएआर और क्रेडिट संकेन्द्रण मानदंडों से छूट प्रदान की गई है।
- एनबीएफसीडी-एनडी-एसआई और सभी एनबीएफसी-डी के लिए कठिन विवेकपूर्ण मानदंड चरणबद्ध रूप से निर्धारित किए गए हैं - न्यूनतम टीयर 1 पूंजी अपेक्षा को 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत (मार्च 2017 के अंत तक) किया जाना है, मानक आस्तियों हेतु प्रावधान को 0.4 प्रतिशत (मार्च 2018 के अंत तक) किया जाना है और निर्धारित क्रेडिट संकेन्द्रण मानदंडों से 5 प्रतिशत रियायत को समाप्त किया गया है।

सभी एनबीएफसी-डी और ₹5 बिलियन से अधिक का आस्ति आकार रखने वाली एनबीएफसीडी-एनडी-एसआई को गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों हेतु अतिरिक्त कॉरपोरेट गवर्नेन्स मानक और प्रकटीकरण मानदंड जारी किए गए। तदनुसार इन गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को लेखापरीक्षा, जोखिम प्रबंधन और निदेशकों के लिए फिट और उचित मानदंडों के निर्धारतण हेतु विभिन्न समितियों का सृजन करना होगा। इन्हें आंतरिक बोर्ड द्वारा अनुमोदित कॉरपोरेट गवर्नेन्स दिशानिर्देश तैयार करके अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करने होंगे।

संदर्भ :

भारतीय रिज़र्व बैंक (2014), वित्तीय संकट का पूर्व-अभिज्ञान, ऋणदाताओं हेतु समाधान और उचित वसूली के त्वरित उपाय : अर्थव्यवस्था में संकटग्रस्त आस्तियों का पुनरुत्थान, मार्च।

भारतीय रिज़र्व बैंक (2014), गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के लिए संशोधित विनियामक व्यवस्था, नवम्बर।

भारतीय रिज़र्व बैंक (2015), अवसंरचनात्मक और कोर उद्योगों के लिए दीर्घावधिक परियोजना ऋणों की लोचशील संरचना, जनवरी।

मुद्रा लिमिटेड

VI.49 यूनियन बजट 2015-16 में की गई घोषणा के अनुसरण में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का विनियमन और पुनर्वित्तीयन करने हेतु 18 मार्च 2015 को माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेन्ट रीफाइनान्स एजेन्सी (मुद्रा) की स्थापना की गई (बॉक्स VI.4).

बॉक्स VI.4
माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेन्ट रीफाइनान्स एजेन्सी (मुद्रा) लिमिटेड

यूनियन बजट 2015-16 में मुद्रा लि. की स्थापना की घोषणा की गई, जो कि विनिर्माण, कारोबार और सेवा क्रियाकलापों में संलग्न सूक्ष्म/लघु कारोबारी संस्थाओं को ऋण देने के व्यवसाय में लगी सभी सूक्ष्म वित्त संस्थानों के विनियमन और पुनर्वित्तीयन के लिए उत्तरदायी होगी, और यह लघु/सूक्ष्म व्यवसायी उद्यमों को वित्त प्रदान करने वाले अंतिम वित्तपोषकों को वित्त प्रदान करने वाले राज्य स्तरीय/क्षेत्रीय स्तर के समन्वयकर्ताओं के साथ काम करेगी। सरकार द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को उधार देने से बची रह गई रकम में से ₹200 बिलियन की रकम मुद्रा को आबंटित की जाएगी ताकि अंतिम वित्त पोषकों को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए पुनर्वित्त निधि का सृजन हो सके। मुद्रा को बजट में से ₹300 बिलियन की रकम भी दी जाएगी ताकि सूक्ष्म उद्यमों को प्रदत्त ऋणों की गारंटी हेतु क्रेडिट गारंटी कोष का सृजन हो सके।

मुद्रा की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार द्वारा समुचित विधान का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। विधान का अनुमोदन होने तक लघु / सूक्ष्म उद्यमों के विकास और वित्त पोषण से संबंधित क्रियाकलापों के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक इकाई के रूप में 18 मार्च 2015 को कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत मुद्रा लि. की स्थापना की गई, और इसे 6 अप्रैल 2015 को जमाराशि स्वीकार नहीं करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी के रूप में पंजीकृत किया गया। सिडबी को अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा पूंजी की क्रॉस-होल्डिंग के लिए मुद्रा में ₹7.5 बिलियन के निवेश से छूट प्रदान की गई है।

2015- 16 की कार्यसूची

VI.50 बैंकों और गैर बैंकों के बीच विनियामक संपरिवर्तन की प्रक्रिया को 2015-16 में आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा, इस क्षेत्र के लिए क्रियाकलाप आधारित विनियम की परिकल्पना की गई है, इससे गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों के विभिन्न वर्गों को समाप्त कर दिया जाएगा। पहले कदम के तौर पर गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को प्रगामी रूप से दो शीर्षों में वर्गीकृत किया गया है यथा - प्रमुख निवेश कम्पनियां (सीआईसी) और अप्रमुख निवेश कम्पनियां। इसके अलावा, सरकारी स्वामित्व वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को रिज़र्व बैंक के विनियामक दायरे में लाया जा रहा है।

वित्तीय मध्यवर्ती संस्थाओं का पर्यवेक्षण

वाणिज्यिक बैंक: बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग

VI. 51 बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को वाणिज्यिक बैंकों के पर्यवेक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा गया है इसका लक्ष्य सुरक्षित एवं प्रभावी बैंकिंग प्रणाली के विकास के लिए पर्यवेक्षी नीतियों और कार्यनीतियों का निरूपण तथा कार्यान्वयन करना है। इस प्रयास के तहत बैंकों तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों में प्रबंधन कार्यप्रणालियों को प्रोत्साहित किया जाता है। बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग अन्य देशी विनियामकों के साथ समन्वय करके निर्धारित वित्तीय संगुट की निगरानी करने के लिए एफएसडीसी की उप समिति के संरक्षण के तहत स्थापित अंतर विनियामक मंच के सचिवालय के रुप में भी कार्यकर्ता है।

2014-15 की कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस) तथा क्षमता वर्धन

VI. 52. रिज़र्व बैंक प्रगामी तौर पर निष्पादन आधारित कैमल्स (अर्थात पूंजी पर्याप्तता, आस्ति गुणवत्ता, प्रबन्धन, अर्जन, चलनिधि और प्रणाली तथा नियंत्रण) व्यवस्था की तरफ से दूरदर्शी आरबीएस ढांचे की ओर बढ़ रहा है ताकि जोखिम की प्रारंभिक पहचान, समय रहते तथा उचित पर्यवेक्षी हस्तक्षेप तथा आमतौर पर पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं की गुणवत्ता में वैश्विक स्तर की उत्तम प्रथाओं के अनुरूप सुधार लाया जा सके। वर्ष 2014-15 में आरबीएस के तहत दो और बैंकों को लाया गया जिससे मुख्य बैंकों की कुल संख्या 30 हो गई। 2015-16 मूल्यांकन अवधि से 6 और बैंकों ने आरबीएस प्रणाली को अपना लिया है। वाणिज्यिक बैंकों से डाटा संग्रहण को दुरुस्त कर आरबीएस मॉडल को भी अनुकूल बनाया गया। बैंक स्तर पर तैयारी की आवश्यकता पर बल दिया गया जिसमें आरबीएस के लिए एक सुदृढ प्रबंधन सूचना तंत्र (एमआईएस) पर जोर डालना शामिल है।

वित्तीय संगुट (एफसी) की निगरानी

VI. 53 अन्य घरेलू विनियामकों के साथ समन्वय करके रिज़र्व बैंक ने दो बैंक संचालित एफसी के साथ चर्चा बैठकें आयोजित की

और एनएफसी के परिचालनों में समूह स्तर और अंतर विनियामक मुद्दों की समीक्षा करने के लिए बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा आयोजित एक बीमा कंपनी द्वारा संचालित एफसी की चर्चा बैठक में सहभागिता की।

प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली (ईडब्ल्यूएस) तथा तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए)

VI. 54 गहन जांच को सक्रिय करने वाले संवेदनशील वित्तीय संकेतकों के विचलन पर नजर रखने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा चुका है और उसकी बारीकियों पर काम किया जा रहा है। साथ ही सबसे पहले 2002 में प्रारंभ किए गए वर्तमान पीसीए ढांचे को भी नवीनतम किया जा रहा है, जिसके बाद अन्य विनियामकों के साथ समन्वय कर वित्तीय सह-सगठनों को भी इसके अंतर्गत लाया जाएगा।

वैश्विक पर्यवेक्षी सहयोग

VI.55 क्रॉस बार्डर पर्यवेक्षी सहयोग तथा सूचना के आदान-प्रदान के लिए रिज़र्व बैंक ने 2014-15 में 6 विदेशी बैंकिंग पर्यवेक्षी प्राधिकारियों यथा - द हांगकांग मॉनिटरी अथारिटी; द सेन्ट्रल बैंक ऑफ केन्या; बैंको सेंट्रल डू ब्रासिल; द बैंक ऑफ़ युगांडा; सेंट्रल बैंक ऑफ सेशेल्स; और मालदीव मॉनिटरी प्राधिकारी के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए है। तीन अमरीकी वित्तीय विनियामकों अर्थात फेडरल रिज़र्व सिस्टम के निदेशक मंडल, मुद्रा नित्रंतक कार्यालय और फेडरल डिपाजिट इंश्यूरेंस के साथ सहयोग संवाद स्थापित किया गया है। अभी तक, रिज़र्व बैंक ने विदेशी पर्यवेक्षकों/विनियामकों के साथ 26 समझौता ज्ञापनों, एक पर्यवेक्षी सहयोग पत्र तथा एक सहयोग-करार किया है।

VI.56. क्रॉस बार्डर समेकित पर्यवेक्षण के बारे में बीसीबीएस के सिद्धांतों के आधार पर रिज़र्व बैंक भारतीय बैंकों के लिए पर्यवेक्षी महाविद्यालयों का गठन कर रहा है जिसकी विदेशों में भी प्रचुर उपस्थिति होगी। ऐसे पर्यवेक्षी महाविद्यालय भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक लि., बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ़ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक तथा एक्सिस बैंक लि. के लिए स्थापित किए गए हैं।

2015-16 की कार्यसूची

VI.57 इसी क्रम में, भारत में कार्यरत सभी छोटे विदेशी बैंकों को आरबीएस के अंतर्गत लाया जाएगा। एक ओर सभी भारतीय वित्तीय संस्थानों यथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), सिडबी, भारतीय निर्यात आयात (एग्ज़िम) बैंक तथा राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के निरीक्षण हेतु नई प्रणाली बनाई जा रही है, साथ ही समुन्नत विश्लेषण सहित सीआरआईएलसी रिपोर्टिंग के लिए संशोधित प्रणाली जल्द ही प्रारंभ किए जाने की संभावना है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) के सहयोग से बीमा कंपनियों से भी सीआरआईएलसी जानकारी एकत्र करने का प्रस्ताव है।

VI.58. सभी स्थानेतर निगरानी और निरीक्षण प्रणाली (ओस्मोस) विवरणों को एक्सटेन्सिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल)/डेटा वेयरहाउस परिवेश में परिवर्तित करने की योजना है ताकि पर्यवेक्षी उद्देश्यों के लिए एकल सूचना प्रणाली विकसित की जा सके। धोखाधड़ी का पता लगाने, रिपोर्ट करने तथा निगरानी करने के लिए जल्द ही नई व्यवस्था 7 मई 2015 को शुरु की गई है। इसके अलावा, बैंकों के उपयोग के लिए केन्द्रीय धोखाधड़ी रजिस्ट्री पर भी विचार किया जा रहा है। यद्यपि विनियामक निकायों द्वारा पृथक प्रणालियों के प्रयोग से जानकारी के स्वतः प्रवाह की प्रक्रिया में बाधा आती है, तथापि रिज़र्व बैंक डेटा प्रस्तुति के पूर्णतया यंत्रचालित माध्यमों की तरफ बढ़ने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करता रहेगा।

VI.59. आरबीएस प्रणाली, प्रणाली संपरीक्षा, प्रोद्योगिकी सूचना संवेदनशीलता(आईटी)/वेधन परीक्षण पर विशेष ध्यान देते हुए 2015-16 में क्षमता वर्धन की योजना लाई जाएगी। ईडब्ल्यूएस के साथ-साथ पुनर्निर्मित पीसीए ढांचे को 2015-16 में अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। एफसी के लिए पीसीए ढ़ाँचा विकसित करने के लिए संबंधित कार्य अन्य देशी विनियामकों के साथ समन्वय करके लिए जाएंगे। विनियामक निकायों में अनुपालन की परिपाटी सुधारने के लिए रिज़र्व बैंक नए तरीके खोज रहा है जिसमें उचित दंडात्मक उपाय भी सम्मिलित है।

सहकारी बैंक : सहकारी बैंक पर्यवेक्षण विभाग (डीसीबीएस)

VI.60. पूर्ववर्ती शहरी सहकारी बैंक विभाग (यूबीडी) को संविभाजित करके स्थापित बनाए गए इस विभाग का प्राथमिक उद्देश्य अलग-अलग शहरी सहकारी बैंकों तथा समग्र क्षेत्र की वित्तीय सुदृढ़ता सुनश्चित करना है।

2014-15 की कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

VI. 61 इस वर्ष के दौरान 968 शहरी सहकारी बैंकों, इनमें सभी अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक, 'सी' तथा 'डी' श्रेणियों के गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक तथा 'ए' एवं 'बी' श्रेणियों के गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक शामिल हैं, जिनका ऑन-साइट निरीक्षण तथा उचित पर्यवेक्षी कार्रवाई की गई। नौ शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द किए गए, जबकि दो शहरी सहकारी बैंकों का अन्य शहरी सहकारी बैंकों के साथ विलय किया गया तथा सात शहरी सहकारी बैंकों पर 'समग्र सम्मिलित निदेश' लागू किए गए। सभी 1589 शहरी सहकारी बैंकों का पर्यवेक्षण ऑफ़-साइट पर्यवेक्षण प्रणाली द्वारा किया गया। सूचना एकत्रित, संसाधित तथा प्रसारित करने के लिए एकल मंच विकसित करने के उद्देश्य से शहरी सहकारी बैंकों की 13 विवरणियों को वर्तमान की ऑफ-साइट पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग प्रणाली से एक्सबीआरएल आधारित रिपोर्टिंग प्रणाली में परिवर्तित किया गया। यूसीबी की व्यवसायिकता तथा गवर्नेन्स में सुधार लाने के लिए रिज़र्व बैंक ने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

2015-16 की कार्यसूची

VI.62 शहरी सहकारी बैंकों का प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित करते हुए 2015-16 में ऋणात्मक निवल मालियत वाले शहरी सहकारी बैंकों की संख्या कम करने का विचार है। आगामी वर्ष में सभी विवरणियों का एक्सबीआरएल आधारित रिपोर्टिंग परिवेश में परिवर्तन पूरा कर लिया जाएगा। शहरी सहकारी बैंक क्षेत्र में क्षमता-वर्धन के उपायों को आगामी वर्ष में भी आगे बढ़ाया जाएगा।

एन बी एफ सी : गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीएनबीएस)

VI.63 यह विभाग गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का पर्यवेक्षी विंग है और इसका लक्ष्य जमाकर्ताओं, ग्राहकों तथा अन्य पण्यधारकों के हितों की सुरक्षा के साथ-साथ देश की वित्तीय व्यवस्था को इस क्षेत्र से होने वाले जोखिमों से सुरक्षित करते हुए स्वस्थ तथा मजबूत एनबीएफसी क्षेत्र के लिए योग्य परिवेश स्थापित करना है। इस विभाग का यह भी प्रयास रहता है कि विभिन्न प्रकार के वित्तीय क्रियाकलापों में संलग्न निकायों हेतु विधिक/विनियामक व्यवस्था के बारे में जनसाधारण की जागरूकता को बढ़ाया जाए।

2014-15 की कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

VI.64 ऑन साइट निरीक्षण का फोकस ''जमाराशि स्वीकारने" व ''प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण" जमाराशि नहीं स्वीकारने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर बना रहा। वर्ष 2014-15 के दौरान जमाराशि स्वीकारने वाली 72 कंपनियों और जमाराशि नहीं स्वीकारने वाली 182 कंपनियों का निरीक्षण किया गया। दोषी तथा अनधिकृत घटकों से निपटने के लिए, राज्य स्तरीय सहयोग समिति का मई 2014 में पुनर्गठन किया गया और राज्य सरकार के मुख्य सचिव उसके अध्यक्ष रहे तथा सचिवीय सहायता रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान की गई, ताकि बाज़ार आसूचना का नियमित आदान-प्रदान सुगम किया जा सके और समन्वित रूप से समयोचित कार्रवाई की जा सके। रिज़र्व बैंक ने इस वर्ष के दौरान संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों के दो सम्मेलनों का भी आयोजन किया ताकि अनधिकृत निकायों द्वारा निधियों के संग्रहण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सके। रिज़र्व बैंक के 16 क्षेत्रीय कार्यालयों में बाज़ार आसूचना (एमआई) कक्ष का गठन किया गया।

प्रतिभूतिकरण/आस्ति पुनर्निर्माण

VI.65 आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां (एआरसी) उधार वसूली प्रक्रिया में स्थिरतापूर्वक अपनी मौजूदगी बढ़ा रही हैं (सारणी VI.1)। मार्च 2015 के अंत तक रिज़र्व बैंक में 15 प्रतिभूतिकरण कंपनियां / पुनर्संरचना कंपनियां पंजीकृत थीं। मार्च 2015 के अंत तक आस्ति पुनर्संरचना कंपनियों द्वारा अधिगृहीत आस्तियों का बही मूल्य लगभग ₹508 बिलियन रहा। यद्यपि एआरसी पहले ही ऑफ-साइट पर्यवेक्षण के अंतर्गत हैं, उनके बढ़ते महत्व को देखते हुए आगामी वर्ष में उनका पर्यवेक्षण ऑन-साइट निरीक्षण के माध्यम से किया जाएगा।

2015-16 की कार्यसूची

VI.66 लघु गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को विनियामक विवरणियां प्रस्तुत करने से अब तक छूट थी 2015-16 में इन्हें

तालिका VI.1: एआरसी सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय पैरामीटर

(₹ बिलियन)

मद	मार्च 14	मार्च 15
1	2	3
स्वामित्वाधीन निधि	30.2	34.0
एससी/आरसी द्वारा अधिगृहीत आस्तियों की अधिक्रय लागत	205.8	226.6
कुल जारी एसआर	204.1	224.4
एससी/आरसी द्वारा अपने खातें में धारित एसआर	13.8	29.9
विक्रेता बैंक / वित्तीय संस्था द्वारा धारित एसआर	187.6	191.6
अन्य क्यूआईबी को जारी एसआर की रकम	2.4	2.9
एफआईआई द्वारा धारित एसआर	0.2	0.0
भुगतान करके मुक्त कराई गई एसआर (वर्ष के दौरान)	11.9	16.5

एसआर : प्रतिभूति प्राप्तियाँ; क्यूआईबी: अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेता; एफआईआई: विदेशी संस्थागत निवेशक
स्रोत: कॉस्मॉस विवरणियां (तिमाही)

ऑफ़-साइट निगरानी के अंतर्गत लाया जाएगा। एसएलसीसी सदस्यों/जनसाधारण में जानकारी के प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से आगामी वर्ष में एक विशिष्ट वेबसाइट का विमोचन किया जाएगा। इस प्रणाली के पूरी तरह से चालू हो जाने पर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से बड़े उधारकर्ताओं के बारे में सीआरआईएलसी सूचना विश्लेषण हेतु ली जाएगी। विभाग द्वारा अपनाई जा रही परामर्श पद्धति को 2015-16 में औपचारिक बनाते हुए इस उद्योग के साथ आवधिक संव्यवहार का रूप देने का प्रस्ताव है।

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी)

VI.67 रिज़र्व बैंक के पूर्ण स्वामित्वाधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा दिए जा रहे निक्षेप बीमा में सभी बैंकों को कवर किया जाता है, जिसमें देश के स्थानीय क्षेत्र के बैंक, आरआरबी तथा सहकारी बैंक शामिल हैं। जमाराशि बीमाकर्ताओं के अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईएडीआई) के कोर प्रिंसिपल फॉर इफेक्टिव डिपोजिट इंश्योरेंस सिस्टम (2014) के अनुसार जमाराशियों का बीमा कवरेज सीमित होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए और अधिकांश जमाकर्ताओं को कवर करने वाली होनी चाहिए लेकिन इसमें जमाराशियों का महत्वपूर्ण हिस्सा बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में लगाया गया होता है। जमाराशियों हेतु बीमा की वर्तमान सीमा एकल अधिकार और एकल क्षमता में प्रति जमाकर्ता ₹0.1 मिलियन है। दिनांक 31 मार्च 2015 के अनुसार 92.3 प्रतिशत खाते पूरी तरह से संरक्षित थे। राशि की मात्रा के अनुसार देखा जाए तो ₹26.1 ट्रिलियन की जमाराशि को बीमा सुरक्षा दी गई जो कि आकलन योग्य जमाराशियों का लगभग 31 प्रतिशत हुआ। एक प्रभावी निक्षेप बीमा डिजाइन में यह सक्षमता होनी चाहिए कि यह इस पर अंतरित जोखिमों के लिए प्रतिपूर्ति हासिल करते हुए अपने जोखिम का प्रबंधन करे। अतः प्रीमियम का जोखिम आधारित संग्रहण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है (बॉक्स VI.5)।

VI.68 पिछले वर्ष के ₹1.0 बिलियन की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान परिसमापन/ पुनर्संरचना/ समामेलन में शामिल

बॉक्स VI.5
बैंकों के लिए जोखिम आधारित प्रीमियम

निक्षेप बीमा बैंकों के लिए अधिक लीवरेज चुनने तथा बैंकों के ग्राहकों के लिए निगरानी में ढील का प्रोत्साहक बन सकता है। इस प्रकार के नैतिक संकट से बचने के लिए निक्षेप बीमा का प्रीमियम ऐसा होना चाहिए जो बैंक की गतिविधियों से जुड़े प्रभावी अंतर्निहित जोखिम को सही रूप में प्रदर्शित करे। निक्षेप बीमा योजना के लिए जोखिम-समायोजित प्रीमियम शुरु करके इसमें आंशिक कमी की जा सकती है। यद्यपि इसकी तुलना में सादा-दर प्रीमियम प्रणाली समझने में तथा लागू करने में आसान होती है, मगर इसमें उस जोखिम के स्तर को शामिल नहीं किया जाता जो बैंक द्वारा निक्षेप बीमा प्रणाली पर पड़ सकता है और इसे सभी बैंकों के लिए प्रीमियम दर तथा जोखिम प्रोफाइल की दृष्टि से अनुचित माना जा सकता है (आईएडीआई 2011)।

निक्षेप बीमा संबंधी साहित्य में जोखिम आधारित प्रीमियम निर्धारण की दो भिन्न पद्धतियां बताई गई हैं। संभावित हानि की कीमत के आकलन की पद्धति बैंक द्वारा चूक करने की संभाव्यता पर आधारित है, जिसका आकलन या तो मूलभूत सिद्धांतों, रेटिंग या फिर बाजार विश्लेषण से किया जा सकता है। मेर्टिन प्रकार की पद्धति में एक कंपनी के चूक करने की संभाव्यता का आकलन करने के लिए विकल्प कीमत निर्धारण सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है।

व्यवहार में जोखिम आधारित अंशदानों को अंशदान-आधार के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसे सदस्यों की जोख़िम प्रवृत्ति के एक समानुपातिक घटक और संबंधित देश की बैंकिंग प्रणाली में समग्र स्थितियों को प्रकट करने वाले एक घटक के अनुपात में समायोजित किया जाता है। (वाल्टर और शैलर, 2012) प्रीमियम आकलन को साधारण जोखिम समीकरण के रूप में दिखाया जा सकता है :

$$P_{it} = r_{s,t} * r_{it} * D_{it}$$

जिसमें, बैंक विशेष के जोखिम आधारित अंशदान (Pit) में मात्रा और जोखिम के चरांक शामिल होते हैं और इसे अंशदान-आधार (Di,t), सामान्यतया पात्र

(जारी...)

जमाराशियों की कुल रकम, के रूप में परिभाषित किया जाता है, इसमें से एक सदस्य (विशिष्ट जोखिम) की जोखिम अवस्थिति के समानुपात की प्रतिशतता (ri,t), और देश की बैंकिंग प्रणाली (प्रणालीगत जोखिम) की समग्र स्थिति को प्रकट करने वाली प्रतिशतता (rst) को स्थिति अनुसार घटाया या जोड़ा जाता है।

यूरोपीयन संघ की प्रथाओं से ज्ञात होता है कि सभी सदस्य राज्यों में किसी सदस्य संस्थान के जोखिम के मूल्यांकन के लिए वर्तमान में लागू किए जा रहे मुख्य वित्तीय अनुपात में विविधता है और उन्हें परिभाषित करने के लिए प्रयुक्त चरांक एक-समान नहीं हैं। 2014-ईयू डायरेक्टिव ऑन डिपॉजिट इन्श्योरेन्स स्कीम्स, में जोखिम उपायों के लिए एक सामान्य सा निर्देश दिया गया है और इनकी बारीकियों को सदस्य राज्यों के विवेक पर छोड़ दिया गया है। यूएस में, नवंबर 2006 में जोखिम आधारित मूल्यांकन के लिए नए नियम जारी किए गए थे और 2010 में अधिनियमित वित्तीय सुधार अधिनियम को देखते हुए जोखिम संबंधी प्रीमियम में महत्वपूर्ण परिष्करण किए गए। छोटे बैंकों के लिए, पर्यवेक्षी कैमल्स रेटिंग को वित्तीय अनुपात के साथ संयोजित किया गया ताकि निक्षेपों के बदले जोखिम आधारित मूल्यांकन दर निर्धारित की जा सके। बड़े बैंकों के लिए, सन 2011 में यूएस फेडरल डिपॉजिट इन्श्योरेन्स कॉरपोरेशन ने जोखिम विभेदीकरण योजना अपनाई जिसमें कैमल श्रेणी तथा जोखिम के दूरदर्शी वित्तीय उपायों को समायोजित किया गया।

भारत में, बैंकों के लिए जोखिम आधारित प्रीमियम लागू करने के लिए आवधिक सिफारिशें होती रही हैं। बैंकिंग क्षेत्र सुधार पर नरसिम्हन समिति रिपोर्ट (1998) ने संरचनात्मक मुद्दों पर फोकस करने के साथ-साथ समान-दर प्रीमियम प्रणाली की जगह जोखिम आधारित प्रीमियम प्रणाली प्रारंभ करने की सिफारिश की थी। भारत में निक्षेप बीमा में सुधार पर रिज़र्व बैंक की कपूर समिति (1999) ने भी इसकी पुनरावृत्ति की। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम द्वारा गठित ऋण जोखिम मॉडल पर समिति (2006) ने भी जोखिम आधारित प्रीमियम प्रारंभ करने की सिफारिश की थी और इसकी शुरुआत राज्य सहकारी बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों से करने के लिए कहा था।

विगत में विभिन्न समितियों की सिफारिशों के बावजूद जोखिम आधारित प्रीमियम को प्रचलन में नहीं लाया जा सका, इसका कारण, अन्य बातों के साथ-साथ, हाल ही तक सहकारी तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (ये बीमाकृत बैंकों का 90% होते हैं) के पुनर्गठन का कार्य चल रहा था, सभी बीमाकृत बैंकों, विशेषकर सहकारी बैंकों की सख्त पर्यवेक्षी रेटिंग का अभाव, जो कि रेटिंग मॉडल के लिए महत्वपूर्ण इनपुट होता है। तथापि, पण्यधारकों और जन प्रतिनिधियों से वर्तमान के निक्षेप बीमा कवर ₹0.1 मिलियन को बढ़ाने के लिए निरंतर मांग आती रही है। प्रीमियम की दरों को बीमाकृत बैंकों की जोखिम प्रोफाइलों के साथ अंशांकित किए बिना, बीमा कवर में बढ़ोतरी से तो केवल अंतर्निहित नैतिक संकट का जोखिम ही बढ़ेगा। इसे ध्यान में रखते हुए, मार्च 2015 में बैंकों के लिए विभेदीकृत प्रीमियम पर समिति (अध्यक्षः श्री जसबीर सिंह) का गठन किया गया ताकि भारत में जोखिम आधारित प्रीमियम की शुरुआत करने के लिए सिफारिश की जा सके।

संदर्भः

इन्टरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डिपॉजिट इन्श्यूरर्स (2011), 'जनरल गाइडेन्स फॉर डेवलपिंग डिफ्रेंशियल प्रीमियम सिस्टम', अक्तूबर।

वाल्टर और शैलर (2012), ऐन अल्टरनेटिव वे ऑफ कलकुलेटिंग रिस्क बेस्ड प्रीमियम इन न्यू पैराडिग्म इन बैंकिंग, फाइनैंशियल मार्केट और रेगुलेशन इन बालिंग एरल, एसयूईआरएफ।

यूरोपियन कमीशन (2008), 'रिस्क बेसड् कन्ट्रीब्यूशन इन ईयू डिपॉजिट गारंटी स्कीमस् : करेन्ट प्रैक्टिसेस, ज्वाइंट रिसर्च सेन्टर।

30 सहकारी बैंकों के मामले में लगभग ₹3.2 बिलियन के दावों का निपटान किया गया। मार्च 2015 के अंत में निक्षेप बीमा निधि (डीआईएफ) की मात्रा ₹504.5 बिलियन रही, जिससे आरक्षित निधि अनुपात (डीआईएफ/बीमाकृत राशि) 1.9 प्रतिशत रहा।

राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी)

VI.69 रिज़र्व बैंक के पूर्ण स्वामित्वाधीन सहायक इकाई राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) का गठन 9 जुलाई 1988 को राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के अंतर्गत हुआ जो कि स्थानीय तथा क्षेत्रीय दोनों स्तरों पर आवास वित्त संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रधान एजेंसी के रूप में काम करने के लिए तथा ऐसी संस्थाओं को वित्तीय और अन्य आकस्मिक सहायता प्रदान किया जा सके।

VI.70 आवास वित्त की शीर्षस्थ संस्था के रूप में राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) का पंजीकरण, विनियमन और पर्यवेक्षण किया जाता है। 30 जून 2015 की स्थिति के अनुसार एनएचबी में 65 आवास वित्त कंपनियों पंजीकृत थीं। राष्ट्रीय आवास बैंक का फोकस अल्प आय आवास वर्ग को आवास हेतु वहन-योग्य वित्त के बाजार आधारित नवोन्मेषी समाधानों को बढ़ावा देने पर है। राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा एचएफसी, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी क्षेत्र की संस्थाओं को उनके द्वारा दिए गए आवासीय ऋणों पर पुनर्वित्त प्रदान करती है। यह वृहद स्तर के एकीकृत आवासीय परियोजनाओं तथा स्लम पुनर्विकास परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक तथा निजी सार्वजनिक भागीदारी, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं, राज्य स्तरीय आवासन बोर्ड तथा क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की विस्तृत श्रेणियों को परियोजना ऋण देता है। वर्ष 2014-15 में इसका संचयी वितरण ₹218.5 बिलियन रहा जिसका 25.4 प्रतिशत (₹55.4 बिलियन) ग्रामीण आवास निधि तथा स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत ग्रामीण आवास ऋण के लिए दिया गया।

VI.71 सरकार ने ऋण संस्थानों को सब्सिडी वितरित करने के लिए तथा ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के अंतर्गत घटकों की प्रगति की निगरानी के लिए केन्द्रीय नोडल एजेंसी के रुप में राष्ट्रीय आवास बैंक का चयन किया है। सीएलएसएस का कार्यान्वयन देशभर के सभी 4041 सांविधिक कस्बों (2011 की जनगणना के अनुसार) में किया जाएगा और यह प्रधानमंत्री आवास योजना - सभी के लिए आवास (एचएफए) मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य शहरी गरीबों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करना है, जिसमें स्लम-वासी भी शामिल हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक कई सरकारी योजनाओं जैसे शहरी गरीबों हेतु आवास के लिए ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएचयूपी), 1 प्रतिशत ब्याज, आर्थिक सहायता योजना और सोलर पूंजी सब्सिडी योजना के लिए भी नोडल एजेंसी रहा है।

VI.72 भारत सरकार द्वारा अल्प आय आवास के लिए संस्थापित ऋण जोखिम गारंटी न्यास का प्रबंधन भी राष्ट्रीय आवास बैंक करता है ताकि शहरी क्षेत्रों में संस्थागत ऋण का बेहतर वितरण सुनिश्चित किया जा सके। राष्ट्रीय आवास बैंक ने जुलाई 2007 में रेजिडेक्स योजना आरंभ की, ताकि पूरे भारत में 26 शहरों में आवासीय सम्पदा की कीमतों पर नजर रखी जा सके। केन्द्र सरकार ने 2014-15 में एनएचबी के आबंटन को ₹40 बिलियन से बढ़ाकर ₹80 बिलियिन कर दिया ताकि देश में ग्रामीण आवास को विस्तार तथा समर्थन दिया जा सके।

उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण

उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी)

VI.73 उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग (सीईपीडी) का फोकस लोकहित का अनुशीलन करने, आसूचना विषमताओं, उत्पादों के सीमित विकल्पों, अपर्याप्त प्रकटीरकणों, आदि से उत्पन्न असंतुलनों को कम करके, वित्तीय सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं और उपभोक्ताओं के बीच सम-स्तरीयता प्रदान करने पर है। उपभोक्ता संरक्षण वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने का प्रमुख माध्यम है।

2014-15 की कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

उपभोक्ता अधिकारों का चार्टर

VI.74 बैंक उपभोक्ताओं के संरक्षण तथा ग्राहक सेवा के मानक तय करने हेतु संरचनागत उपाय के तौर पर रिज़र्व बैंक द्वारा 2014-15 में बैंक उपभोक्ताओं के लिए एक व्यापक, सर्वसमावेशक सिद्धांतों के रूप में ''उपभोक्ता अधिकारों के चार्टर" का निरुपण किया गया (बॉक्स VI.6)। इसके बाद भारतीय बैंक संघ तथा बीसीएसबीआई ने संयुक्त रूप से उपभोक्ता अधिकार चार्टर के आधार पर ग्राहक अधिकार नीति/संहिता का मॉडल तैयार किया। बैंकों को सूचित किया गया कि वे 31 जुलाई 2015 तक अपने-अपने

बाक्स VI.6
उपभोक्ता अधिकार चार्टर

3 दिसंबर 2014 को जारी उपभोक्ता अधिकार चार्टर में बैंक उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए व्यापक तथा सर्वसमावेशक सिद्धांत प्रतिष्ठापित किए गए हैं और इसमें बैंक उपभोक्ताओं के 'पांच' आधारभूत अधिकार स्पष्ट किए गए हैं जो कि निम्नानुसार हैं :-

(i) उचित व्यवहार का अधिकार : उपभोक्ता तथा वित्तीय सेवा प्रदाता, दोनों को ही विनम्र व्यवहार पाने का अधिकार है। उपभोक्ता को वित्तीय उत्पाद प्रस्तावित और प्रदान करते समय अनुचित अधारों यथा लिंग, आयु, धर्म, जाति या शारीरिक क्षमता की वजह से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

(ii) पारदर्शी, उचित तथा निष्कपट लेनदेन का अधिकारः वित्तीय सेवा प्रदाता को यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करना चाहिए कि उसके द्वारा तैयार की गई संविदा या करार आम आदमी के लिहाज से पारदर्शी, सरल और सुग्राह्य हो। उत्पाद की कीमत, उससे जुड़े जोखिमों, उपभोक्ता की जिम्मेदारियों तथा उत्पाद के जीवन-चक्र के दौरान लागू नियमों और शर्तों का साफतौर पर खुलासा किया जाना चाहिए। उपभोक्ता के साथ अनुचित व्यापार या अनुचित मार्केटिंग प्रथाओं, निग्रहकारी संविदा शर्तें या भ्रामक प्रतिवेदन नहीं किया जाना चाहिए। इन संबंधों की समयावधि में वित्तीय सेवा प्रदाता द्वारा उपभोक्ता को शारीरिक-क्षति की धमकी, अनुचित दबाव या खुल्लम खुल्ला पीड़ा नहीं पहुंचा सकता।

(iii) उपयुक्तता का अधिकारः प्रस्तावित उत्पाद उपभोक्ता की अवश्यकता अनुसार होने चाहिए और उपभोक्ता की वित्तीय परिस्थिति के आकलन तथा समझ पर अधारित होने चाहिए।

(iv) गोपनीयता का अधिकारः उपभोक्ता की व्यक्तिगत जानकारी गुप्त रखी जानी चाहिए जब तक कि उपभोक्ता ने ऐसा न करने के लिए अपनी सहमति वित्तीय सेवा प्रदाता को नहीं दी हो अथवा कानून के अंतर्गत ऐसी

(जारी...)

जानकारी प्रदान करना अपेक्षित हो अथवा यह किसी व्यापारिक उद्देश्य के जनादेश के लिए प्रदान किया गया हो (उदाहरणार्थः ऋण सूचना कंपनी को)। उपभोक्ता को सत्यनिष्ठा से ऐसे संभावित व्यापार उद्देश्य के जनादेश की जानकारी दी जानी चाहिए। उपभोक्ता को ऐसे सभी प्रकार के संपर्क से संरक्षण का अधिकार है जो उनकी गोपनीयता का उल्लंघन करते हैं चाहें वह इलेक्ट्रानिक या किसी अन्य माध्यम से हो।

(v) शिकायतों का निवारण तथा क्षतिपूर्ति का अधिकारः उपभोक्ता को अधिकार है कि वह प्रस्तावित उत्पादों के लिए वित्तीय सेवा प्रदाता को जिम्मेदार ठहरा सकता है और वह किसी वैध शिकायत के निवारण का साफ और आसान रास्ता पाने का अधिकारी भी है। प्रदाता को चाहिए कि तृतीय पक्ष के उत्पादों के विक्रय से उत्पन्न शिकायतों के निवारण की सुविधा भी प्रदान करे। वित्तीय सेवा प्रदाता उसके द्वारा या किसी और कारण से होने वाली गलतियों, आचरण में चूक, गैर-निष्पादन या निष्पादन में देरी के लिए क्षतिपूर्ति नीति की सूचना दे। इस नीति में ऐसी घटानाओं के होने पर उपभोक्ता के अधिकार तथा कर्तव्य निहित होने चाहिए।

यह अधिकार उपभोक्ता को अनुचित भेदभाव, अनुचित व्यापार या मार्केटिंग प्रथा, निग्रहकारी संविदा शर्तें या भ्रामक अभिवेदन से बचाते हैं और इनका उद्देश्य उचित आवश्यकता आधारित वित्तीय उत्पादों को बढ़ावा देना है जिसके साथ उसमें निहित विभिन्न जोखिमों और प्रभारों की बेहतर समझ हो।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित ग्राहक अधिकार नीतियों को निरूपित करें तथा इसके आंतरिक कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा करें।

बैंकों में आंतरिक लोकपाल

VI.75 बैंक उपभोक्ताओं को उपलब्ध शिकायत निवारण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों, निजी क्षेत्र के कुछ बैंकों तथा विदेशी बैंकों को आंतरिक लोकपाल के रूप में मुख्य ग्राहक सेवा अधिकारी (सीसीएसओ) नियुक्त करने के लिए सूचित किया गया जो उन शिकायतों की जाँच करें जिनका बैंक के आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र द्वारा समाधान नहीं / आंशिक समाधान किया गया है।

कार्यक्षेत्र स्तर की प्रतिपुष्टि सुनिश्चित करना तथा जागरूकता बढ़ाना

VI.76 उचित सुधारात्मक कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए कुछ बैंकों की शाखाओं की आकस्मिक जाँच की गई ताकि बैंक द्वारा अन्य पक्ष के उत्पादों जैसे बीमा तथा म्युचुअल फंड की अनुचित बिक्री से संबंधित शिकायतों पर कार्यक्षेत्र स्तर की प्रतिपुष्टि सुनिश्चित की जा सके। प्राप्त प्रतिउत्तर सभी पण्यधारकों को भेजे गए। पैसों के फर्जी प्रस्तावों की बड़ी संख्या में शिकायतों को देखते हुए, बैंकिंग लोकपाल योजना की उपलब्धता सहित ऐसे फर्जी प्रस्तावों पर लोक जागरुकता अभियान विशेषकर ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रों में चलाए गए।

2015-16 की कार्यसूची

VI.77 रिज़र्व बैंक का लक्ष्य है कि बैंकों में (उपभोक्ता अधिकार चार्टर) को पूरी तरह से लागू किया जाए। 2015-16 में बैंकिंग लोकपाल योजना की भी पूर्ण समीक्षा की जा रही है। अर्धनगरीय इलाकों में बैंकों द्वारा अनुचित विक्रय तथा देश के विभिन्न इलाकों में बंद/खराब एटीएमों की दशा पर विशेष ध्यान देते हुए कार्यक्षेत्रों के दौरे/अध्ययन करने की योजना है।